न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 59/2022, जिला दौसा जीसीएमएस नम्बर 2022/186

1. गंगू पुत्र श्री नारायण, जाति बैरवा, निवासी हाज्या का बास, तहसील दौसा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. बद्री प्रसाद पुत्र श्री रामसहाय, जाति बैरवा, निवासी हाज्या का बास, तहसील दौसा, जिला दौसा।
2. आंवटन सलाहकार समिति जरिये उप जिलाधीश दौसा।
3. तहसीलदार, तहसील दौसा, जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 22.06.2022 निरस्त करने एवं आंवटन आदेश दिनांक 04.10.1977 बहाल करने बाबत।

उपस्थित–

1. श्री राकेश जैमन, वकील अपीलान्ट
2. श्री सत्यनारायण शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो.नं. 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —20.09.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.06.2022 के खिलाफ दिनांक 13.07.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 4.10.1977 को ग्राम हाज्या का बास तहसील दौसा के साबिक खसरा नम्बर 75/2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आंवटन अपीलांट गंगू पुत्र नारायण बैरवा को किया गया था। आंवटन आदेश से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट न. 1 बद्री प्रसाद पुत्र रामसहाय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आंवटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने प्रार्थी गंगू पुत्र नारायण बैरवा का प्रस्तुत प्रा.पत्र 14(4) आंवटन नियम 1970 स्वीकार कर आंवटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24.5.1967 द्वारा ग्राम हाज्या का बास अपीलांट संख्या 1 गंगू पुत्र नारायण बैरवा के पक्ष में किया गया आंवटन आदेश निरस्त करने एवं तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को निर्देश दिये गये कि भूमि का राजस्व रिकार्ड में पूर्ववत चरागाह दर्ज की जावे एवं प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे अविलम्ब हटाये जाने के आदेश पारित किये गये।
3. जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 22.06.2022 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट गंगू पुत्र श्री नारायण द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.06.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 04.10.1977 को हाज्या का बास, तहसील दौसा, जिला दौसा के साबिक खसरा नम्बर 75/2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा (हाल खसरा नंबर 295, 296) भूमि का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

आंवटन अपीलार्थी के पक्ष में किया गया था व उक्त दिनांक से अपीलार्थी उक्त भूमि पर कब्जा व काबिज है व अपीलार्थी के आस पास आबादी वाला क्षेत्र है। तथा अपीलार्थी उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बद्री द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आंवटन नियम 1970 गलत व मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। चूंकि अपीलार्थी आंवटन आदेश की दिनांक से उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा व काबिज है व आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वारा नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों का सही अवलोकन न कर उक्त आदेश पारित किया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट गंगू द्वारा सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 75/2 में से भूमि आंवटन करने हेतु दिनांक 1.10.1977 को विधिवत रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 4.10.1977 में भी अपीलान्ट गंगू का ही राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 75/2 में अतिक्रमण बताता है। भूमि आंवटन के आवेदन पत्र की पुश्त पर पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंबर 75/2 की किस्म सिवाय चक लगानी भूमि बताई गई है जो कि पशुओं की चराई के काम आना व्यक्त किया है। भूमि चरागाह नहीं होकर सिवायचक भूमि है जो कि पशुओं के चराने के काम आ रही है। आंवटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट गंगू के पक्ष में भूमि का आंवटन पूर्ण कोरम में विधिवत रूप से किया गया है। आंवटन के समय पूर्ण कोरम था। अपीलांट गंगू द्वारा भूमि आंवटन के बाद आंवटन की शर्तों की पालना की गई एवं भूमि पर नियमित रूप से काश्त करता आ रहा है। आंवटन शर्तों की पालना करने एवं आंवटित भूमि पर कब्जा काश्त होने पर अप्रार्थी गंगू का राजस्व अभियान कैंप दिनांक 16.6.1989 को गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार हुआ। नामान्तरकरण आदेश की फेहरिश्त में आंवटन की शर्तों की पालना एवं भूमि पर कब्जा होने का अंकन पटवारी हल्का द्वारा किया गया है। भूमि आंवटन के लगभग 40 वर्ष बाद उक्त आंवटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आंवटन नियम 14(4) पेश किया गया था। साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ मियाद तय करने हेतु दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया था। यदि अप्रार्थी गंगू को भूमि आंवटन की जानकारी प्रार्थी को थी एवं तत्समय प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा था तो तत्समय ही उक्त भूमि आंवटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता था। अब अपीलान्ट को प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आंवटन रद्द नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में दिनांक 04.10.1977 को अपीलार्थी को सम्पूर्ण खसरे की जांच कर आंवटन सलाहकार समिति द्वारा विधि स्वरूप प्रश्नगत भूमि का आंवटन पत्र जारी किया गया था व उक्त भूमि पर अपीलार्थी बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है जिसको प्रत्यर्थी संख्या 1 बद्री प्रसाद ने 40 वर्ष गुजरने के बाद अपीलार्थी के उक्त खसरे की भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा डालने हेतु माननीय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य था, परन्तु माननीय न्यायालय ने मियाद अधिनियम 5 को परे रखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बद्री प्रसाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी के पक्ष में जारी आंवटन पत्र को निरस्त फरमा दिया। इस कारणवश आदेश दिनांक 22.06.2022 निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश दिनांक 22.06.2022 में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन कर यह भी अंकित किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आंवटन नियम 1970 के संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह कहना उचित है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम से बाहर होने के कारणवश ही निरस्त किये जाने योग्य था। आंवटन नियम 1970 के आंवटन से सम्बन्धित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में ही प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में आंवटन आदेश दिनांक 04.10.1977 पारित किया

गया था तथा आंवटन के समय यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आंवटी का कुछ समय से भूमि पर कब्जा चला आ रहा हो व आंवटी के पास अन्य कोई ओर भूमि नहीं हो जिसको देखने के पश्चात ही आंवटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि की सम्पूर्ण जांच करने के पश्चात ही अपीलार्थी के हक में आंवटन आदेश दिनांक 04.10.1977 साबिक खसरा नम्बर 75/2 हाल खसरा नम्बर 295, 296 ग्राम हाज्या का बास तहसील दौसा के सम्बन्ध में जारी किया गया है, जो विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 22.06.2022 को निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पुराना खसरा नंबर 75/2 वर्तमान खसरा नम्बर 295, 296 ग्राम हाज्या का बास तहसील दौसा में आंवटन सलाहकार समिति द्वारा उपरोक्त खसरा नंबरान में विधि व कानून के खिलाफ जाकर दिनांक 4.10.1977 को प्रार्थी की गैर मौजूदगी में अपीलान्ट गंगू को भूमि आंवटन पटवारी की झूंठी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए कर दी गई। आंवटन कमेटी ने मौके की स्थिति नहीं देखी कि भूमि पर पर किस व्यक्ति का कब्जा है। खसरा नंबर 75/2 पर प्रार्थी का पिछले लंबे समय से कब्जा चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी कब्जा है। भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में चरागाह भूमि दर्ज थी। जिसका आंवटन किया जाना कानून गलत है। भूमि की किस्म परिवर्तन के लिए राज्य सरकार, जिलाधीश एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से कोई अनापत्ति नहीं ली एवं मौके पर पंचायत का कोई भी सदस्य आंवटन के समय उपस्थित नहीं था। विधि व कानून के विपरीत भूमि का आंवटन किया गया है जो अपने आप में शून्य एवं प्रभावहीन है। पटवारी हल्का ने दिनांक 4.10.1977 को झूंठी रिपोर्ट पेश की है जो विश्वसनीय नहीं है। भूमि का कब्जा दिया जाना विधि विरूद्ध है। भूमि का कब्जा दिये जाने के समय गांव का कोई भी व्यक्ति बतौर साक्ष्य नहीं था ना ही शिनाख्त में किसी राजस्व अधिकारी, पटवारी या भू अभिलेख निरीक्षक या तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है। संपूर्ण कोरम के आधार पर भूमि का आंवटन नहीं किया गया। जिसके आधार पर भूमि का आंवटन निरस्त योग्य है। गंगू पुत्र नारायण बैरवा द्वारा आज तक भी आंवटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। कूटरचित खातेदारी के आधार पर भी जिससे दिनांक 11.12.2015 को बैंक ऑफ इंडिया शाखा जटवाडा जिला जयपुर से विधि विरूद्ध किसान क्रेडिट कार्ड बनवा कर बैंक से ऋण ले लिया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। चरागाह भूमि आंवटन योग्य भूमि की श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए कृषि प्रयोजनार्थ भूमि चरागाह में से आंवटन नहीं की जा सकती है। चूंकि प्रार्थना पत्र 14(4) आंवटन का मियाद का कोई बिन्दु नहीं होता है। मियाद का बिन्दु जानकारी के 30 दिवस से शुरू होता है। अवैध आंवटन अपने आप में शून्य व प्रभावहीन है। प्रार्थी को उक्त आंवटन की जानकारी दिनांक 13.06.2014 को हुई है। वकील रेस्पोडेन्ट ने यह भी कथन किया कि सार्वजनिक उपयोग एवं चरागाह भूमि का आंवटन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर, दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किये गये:—

1. 2010 डीएनजे (एससी) पेज 250
2. एआईआर 2011 एन.ओ.सी. 192 एपी
3. 2012 (2) आर.आर.टी. 793
4. 2012 (2) आर.आर.टी. 796
5. 2011 (1) आर.आर.टी. 219
6. 2011 (1) आर.आर.टी. 446 पैरा 14
7. 2011 (1) आर.आर.टी. एस.सी. 338

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट गंगू पुत्र नारायण बैरवा निवासी हाज्या का बास को ग्राम हाज्या का बास स्थित आराजी खसरा नंबर 75/2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आंवटन किया गया था। भूमि आंवटन के बाद राजस्व अभियान कैंप में अपीलान्ट गंगू को गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार हुआ है। नकल खसरा परिवर्तनशील से भूमि साबिक खसरा नम्बर 75/2 के वर्तमान खसरा नम्बर 295 व 296 बने है जिसकी खातेदारी गंगू पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी हाज्या का बास खातेदार राहिन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जटवाडा मूर्तहीन दर्ज रेकार्ड है। उक्त आंवटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा रहा हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया शाखा जटवाडा के रहन दर्ज है। पत्रावली में संलग्न प्रार्थी/अपीलान्ट गंगू का भूमि आंवटन हेतु आवेदन पत्र के अवलोकन अनुसार जिसमें भूमि 75/2 में से एक बीघा भूमि का आंवटन चाहा गया है किन्तु आंवटन सलाहकार समिति द्वारा प्रार्थी गंगू को भूमि खसरा नम्बर 75/2 रकबा 3 बीघा भूमि का आंवटन किया गया है। मूल आंवटन आदेश का आंवटन आदेश दिनांक 4.10.1977 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भूमि चरागाह है जो कि आंवटन योग्य भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। पत्रावली में संलग्न खतौनी बन्दोबस्त ग्राम हाज्या का बास तहसील दौसा संवत 2003 से 2022, नकल जमाबंदी संवत 2024 से 2027, 2028 से 2031 में भी भूमि की किस्म चरागाह दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 व 2077 में भूमि पडत पडी हुई है। आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आंवटन आदेश दिनांक 4.10.1977 के द्वारा ग्राम हाज्या का बास स्थित आराजी खसरा नंबर 75/2 में से आंवटी द्वारा एक बीघा भूमि का आंवटन चाहा गया है जबकि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 4.10.1977 को खसरा नम्बर 75/2 में से 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आंवटन किया गया है जो कि चरागाह भूमि है एवं चरागाह भूमि आंवटन योग्य की श्रेणी में नहीं आने व प्रतिबंधित श्रेणी में आने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी बद्री प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आंवटन नियत 1970 स्वीकार किया जाकर आंवटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांन्ट गंगू पुत्र नारायण बैरवा को ग्राम हाज्या का बास स्थित आराजी खसरा नम्बर 75/2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आंवटन किया गया है जिसे निरस्त किया गया है। प्रार्थी बद्री प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र 14(4) आंवटन नियम 1970 स्वीकार किया गया है। आंवटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24.05.1967 द्वारा ग्राम हाज्या का बास प्रार्थी गंगू पुत्र नारायण बैरवा के पक्ष में किया गया आंवटन निरस्त कर निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित कर निर्देश दिये गये हैं कि भूमि को राजस्व रिकार्ड में पूर्ववत चरागाह दर्ज करने एवं प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे अविलम्ब हटवाये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। आंवटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2022 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 22.06.2022 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/9/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर